

**न्यायालय: श्री कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-691 / 2009
संस्थित दिनांक-23.11.2009
फाइलिंग क्र.234503000752009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

परिवादी

// विरुद्ध //

बुधराम वल्द गेहरू सिंह, उम्र- 50 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम सरईटोला, थाना गढ़ी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-19/07/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27, 29, 31, 35 (6) (8) एवं सहपठित धारा-51 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-07.09.2009 को परिक्षेत्र भैंसानघाट के अंतर्गत सरईटोला बीट के कक्ष क्रमांक-113 के ज्वारपानी में कान्हा टाईगर रिजर्व के कोर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के 6 नग हरे गीले साल वृक्ष काटकर एवं इमारती बल्ली बनाकर वन्य प्राणी के प्राकृतिक आवास स्थल का नष्ट किया।

2- परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-07.09.09 को परिक्षेत्र भैंसानघाट के गश्ती दल द्वारा गश्ती के दौरान कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक-113 सरईटोला बीट के ज्वारपानी नामक स्थान पर आरोपी को अवैध रूप से प्रवेश कर 6 नग साल के हरे गीले वृक्ष काटते एवं इमारती बल्ली बनाते हुए पाया गया, जिसे घेराबंदी कर मय कुल्हाड़ी के साथ पकड़ा गया। आरोपी से पार्क के अंदर प्रवेश करने एवं वृक्ष काटने के अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो उसने कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया और अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी से घटनास्थल पर 6 नग साल की बल्ली तथा एक नग कुल्हाड़ी जप्त की गई। उपरोक्त आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपी के विरुद्ध पी.ओ. आर.क्रमांक-2944/21, अंतर्गत धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-50, 51 व 51 (सी) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2003-2006) के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के

कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27, 29, 31, 35 (6) (8) एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया, परंतु बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.09.2009 को परिक्षेत्र भैंसानघाट के अंतर्गत सरईटोला बीट के कक्ष क्रमांक-113 के ज्वारपानी में कान्हा टाईगर रिजर्व के कोर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के 6 नग हरे गीले साल वृक्ष काटकर एवं इमारती बल्ली बनाकर वन्य प्राणी के प्राकृतिक आवास स्थल का नष्ट किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— उमर मोहम्मद खान (प.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह दिनांक-07.09.2009 को परिक्षेत्र कुगांव में परिक्षेत्र सहायक के पद पर था। घटना दिनांक को वह, वनरक्षक चमन कुमार बघेल और लेबर संतकुमार तथा सुखदेव के साथ गश्ती पर था। जब वह कक्ष क्रमांक-113 के जमानापानी नामक स्थान पर गश्त कर रहा, तो उसे कुल्हाड़ी की आवाज आई, और उसने आरोपी को साल का वृक्ष काटते हुए पकड़ा था। आरोपी द्वारा 6 नग साल की लकड़ी पूर्व में काटी जा चुकी थी। उसके द्वारा मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसके द्वारा घटनास्थल पर मौजूद साक्षियों से भी हस्ताक्षर कराए गए थे। उसके समक्ष वनरक्षक चमन कुमार बघेले ने प्रदर्श पी-2 का पंचनामा बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। वनरक्षक चमन कुमार बघेले द्वारा आरोपी के विरुद्ध पी.ओ. आर काटा गया, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी का बयान उसने लेख किया था, जिसमें आरोपी ने साल की गीली बल्ली घर के उपयोग हेतु काटना बताया था, यह बयान प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये हैं।

6— साक्षी का कहना है कि उसने वन रक्षक चमन कुमार बघेले का बयान लेखबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने साक्षी सुखदेव व संतकुमार के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे, जो

प्रदर्श पी-7 व 8 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से घटनास्थल पर जप्तशुदा बल्लियों की सूची उसके द्वारा बनाई गई थी, जो प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-10 उसके द्वारा बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पंचनामा प्रदर्श पी-2, चमन कुमार बघेल का कथन प्रदर्श पी-5, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 पर चमन कुमार बघेल के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और कहा है कि उसने चमन कुमार बघेल के साथ काम किया है, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-10 का मौकानक्शा कार्यालय में रखे हुए मूल नक्शे से मिलान कर बनाया गया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी जब खेत से लकड़ी घर ला रहा था, तब उसे पकड़ा गया था। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जहां आरोपी को पकड़ा गया, वहां लोगों का आना-जाना है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 में पी.ओ.आर क्रमांक का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कक्ष क्रमांक-113 प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस संबंध में प्रकरण में कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।

7— सुखदेव (प.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी बुधराम को जानता है। घटना वर्ष 2009 की है। घटना के समय वह सराईटोला में चौकीदार के पद पर पदस्थ था। सराईटोला बीट की गश्ती के दौरान आरोपी बुधराम सराई का गीला वृक्ष काटते हुए दिखाई दिया था, जिसको उसने मौके पर पकड़ा था और उसे रेंज ऑफिस ले जाकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बुधराम, निवासी सराईटोला बताया। घटनास्थल पर आरोपी हरे वृक्ष को काटकर बल्ली बना रहा था। घटनास्थल का पंचनामा प्रदर्श पी-1 उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 एवं जप्तीनामा प्रदर्श पी-11 उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने उसके समक्ष अपना मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 लेख कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपने बयान प्रदर्श पी-7 वन अधिकारी को दिए थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष जप्त बल्लियों को नाप कर सूची तैयार की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह घटना की दिनांक नहीं बता सकता, परंतु साक्षी ने घटना का सन् वर्ष 2009 बताया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 पर जब उसने हस्ताक्षर किये थे, तब मौके पर आरोपी उपस्थित नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया कि सहायक परिक्षेत्र अधिकारी ने उससे कहा कि आरोपी के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया है और वह हस्ताक्षर

कर दे, इसलिए उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके समक्ष एक लकड़ी की बल्ली का नाप हुआ था व 6-7 बल्लीयों का नाप नहीं लिया गया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि प्रदर्श पी-9 की लिखा-पढ़ी पहले से कर ली गई थी और बाद में उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटनास्थल के पास आरोपी का खेत है।

9— चमन कुमार (प.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दिनांक-07.09.2009 को वह सरईटोला बीट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। गश्ती के दौरान ज्वाला पानी पगडण्डी, सरईटोला बीट के कक्ष क्रमांक-113 कान्हा नेशनल पार्क के कोर में आरोपी बुधराम सिंह साल वृक्ष की बल्ली काटते हुए मिला था, जो 6 वृक्ष साल के गीले काट चुका था और उनकी छिलाई कर रहा था। उसके द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसने प्रदर्श पी-2 का पंचनामा बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी से एक कुल्हाड़ी व 6 नग साल की बल्ली जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने व आरोपी ने हस्ताक्षर किये हैं। आरोपी के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने बाबत कोई कागजात नहीं थे। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी-3 का पी.ओ.आर काटा गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने अपना प्रदर्श पी-5 का कथन परिक्षेत्र सहायक को दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि उसने सर्वप्रथम जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। इसके पश्चात् उसने प्रदर्श पी-2 का पंचनामा तैयार किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि दोनों पंचनामे पर समय 9:30 बजे लेख किया गया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की गई थी।

10— सी.आर. उइके (प.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.09.2009 को परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आरोपी बुधराम के विरुद्ध पी.ओ.आर क्रमांक-2944/21, अंतर्गत धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) सहपठित धारा-50, 51 एवं 51(सी) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत परिवाद पत्र पेश किया था, जो प्रदर्श पी-12 है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। विवेचना के पश्चात् उसने परिवाद पत्र में संलग्न सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया था, जिनके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पंचनामा प्रदर्श पी-2 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.ओ.आर प्रदर्श पी-3 के स से स भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। वनरक्षक के कथन प्रदर्श पी-5 हैं, जिसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 के सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी सुखदेव के कथन प्रदर्श पी-7 के सी सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

साक्षी संतकुमार के कथन प्रदर्श पी-8 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-10 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त बल्लियों की सूचना प्रदर्श पी-9 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिन्हें उसके कनिष्ठ अधिकारी परिक्षेत्र सहायक उमर मोहम्मद खान के विवेचना करने के पश्चात् पेश करने पर सत्यापित किया था तथा अपराध सिद्ध पाए जाने पर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया था।

11— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र में दिनांक का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना व्यक्त किया है कि आरोपी की जमीन किस स्थान पर है तथा इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने अपने खेत से बल्ली काटी थी।

12— संतकुमार मानेश्वर (प.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.09.2009 को कूगांव बीट में दैनिक वेतन भोगी के पद पर पदस्थ था। उस दिन गश्ती के दौरान जंगल में आरोपी बुधराम वल्द गेहरूसिंह गोंड साल वृक्ष के 6 नग बल्ली काट चुका था। आरोपी को घेरकर पकड़ा गया था और बल्ली जप्त कर पंचनामा बनाया था। मौकापंचनामा प्रदर्श पी-1 के डी से डी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पंचनामा प्रदर्श पी-2 के इ से इ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके कथन दिनांक-08.09.2009 को नहीं लेख किये गए थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी अपने खेत में बल्ली काट रहा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मौकापंचनामा प्रदर्श पी-1 की कार्यवाही कार्यालय में की गई थी और उसने हस्ताक्षर भी कार्यालय में किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 पर उसने कार्यालय पर हस्ताक्षर किये थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी ने प्रदर्श पी-11 पर उसके सामने हस्ताक्षर नहीं किये।

13— परिवादपत्र प्रदर्श पी-12 के अनुसार दिनांक-07.09.2009 को वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट ने गश्ती के दौरान आरोपी को कान्हा नेशनल पार्क के अंदर कक्ष क्रमांक-113 सरईटोला बीट स्थित ज्वारापानी स्थान साल का वृक्ष काटते हुए पकड़ा था। आरोपी को पकड़ने के पूर्व वह 6 गीले साल के वृक्ष काट चुका था। आरोपी के पास राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रवेश की अनुज्ञा न होने से तथा आरोपी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के वृक्ष को काटकर हानि पहुंचाए जाने से उसके विरुद्ध पी.ओ.आर प्रदर्श पी-3 काटा गया था। आरोपी द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया गया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था। शेष विवेचना की कार्यवाही सहयोगी हमराह बल व उसके द्वारा पूर्ण

की गई थी। साक्षी उमर मोहम्मद खान (प.सा.1) ने घटना की दिनांक-07.09.2009 होना व्यक्त किया है एवं आरोपी की स्पष्ट पहचान अपने न्यायालयीन परीक्षण में की है। घटना का विवरण साक्षी उमर मोहम्मद (प.सा.1), सुखदेव (प.सा.2), संतकुमार (प.सा.5) ने समान रूप से अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है और कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्र में साल के वृक्ष काटकर बल्ली बना रहा था। साक्षी उमर मोहम्मद (प.सा.1) अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्ष काटते हुए नहीं पकड़ा गया था। बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया है कि आरोपी अपने खेत से लकड़ी काटकर ला रहा था, तब उसे पकड़ा गया था। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आरोपी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि घटना दिनांक को उसके आधिपत्य से लकड़ी जप्त हुई थी, जो वह अपने खेत से अपने घर लेकर जा रहा था।

14— साक्षी सुखदेव (प.सा.2) भी अपने प्रतिपरीक्षण में घटना घटित होने के बिन्दु पर अखण्डित रहा है। यद्यपि साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है, परंतु उसने दस्तावेजों की कार्यवाही को अपने न्यायालयीन परीक्षण में पूर्णतः प्रमाणित किया है। परिवादपत्र में दिनांक का उल्लेख न होना प्रक्रियात्मक त्रुटि हो सकता है, परंतु उससे मुख्य घटना घटित नहीं हुई थी, यह आशय नहीं निकाला जा सकता। परिवादी साक्षी संतकुमार ने पंचनामा प्रदर्श पी-2, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 पर कार्यालय पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है, जो कि उपरोक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तु से विपरीत है। पंचनामा तथा जप्ती की कार्यवाही मौके पर की जाने का कथन उमर मोहम्मद खान (प.सा.1), सुखदेव (प.सा.2) ने किया है और उन्होंने अपने न्यायालयीन परीक्षण में उपरोक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है, इसलिए मात्र साक्षी संतकुमार (प.सा.5) के यह कहने से कि उसने कार्यालय उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, पंचनामा एवं जप्ती की कार्यवाही दूषित नहीं मानी जा सकती। साक्षी चमन (प.सा.3) ने भी घटना का उल्लेख तथा आरोपी द्वारा घटना दिनांक को मौके का साल वृक्ष की बल्ली को काटने के संबंध में कथन किये हैं और घटना का पूर्णतः समर्थन उपरोक्त स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक-07.09.2009 को प्रतिबंधित क्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक-113 के ज्वारपानी में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के कुल्हाड़ी हथियार से 6 नग हरे गीले साल वृक्ष काटकर एवं इमारती बल्ली बनाकर वन्य प्राणी के प्राकृतिक आवास स्थल को नष्ट किया। इस प्रकार आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27, 29, 31, 35 (6) (8) एवं सहपठित धारा-51 में सिद्धदोष पाया जाता है।

15— आरोपी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से वनो को हो रहे नुकसान एवं राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के प्रभावित होने से आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

अतः दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर म0प्र0

पुनश्च:-

16- आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी द्वारा यह अपराध प्रथम बार किया गया है। आरोपी वनक्षेत्र का ही रहने वाला है, इसलिए उसे नियमों की जानकारी नहीं थी। अतः आरोपी को सरल दंड आदेश दिया जावे।

17- आरोपी के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27, 29, 31, 35 (6) (8) एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27, 29, 31, 35 (6) (8) एवं सहपठित धारा-51 के अपराध के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थ दंड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को 01 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

18- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द0प्र0सं0 की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

19- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

20- आरोपी का सजा वारंट बनाया जावे।

21- आरोपी को निर्णय की एक एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान कि जावे।

22- प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी तथा कुल्हाड़ी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, यह लकड़ी वन विभाग को विधिवत् निराकरण हेतु प्रदान की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत हो। जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय आदेशानुसार निराकृत हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर
दिनांक 19.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, म0प्र0